बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना
27 अप्रील, 1998

सं0 2757-(वि0)— भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के प्रावधानों को, राज्य सेवा के अनुरूप बनाकर "बिहार सरकारी सेवक कर्मचारी नई अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना, 1997" के रूप में लागू करने हेतु एतद्‌द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

ग्रुप बी0-11-4/97
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस0 विजयराघवन,
अपर वित्त आयुक्त।

बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी, नई ग्रुप बीमा योजना 1997

1. नाम, उद्देश्य एवं विस्तार—

(क) इस नियमावली का नाम बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी नई ग्रुप बीमा योजना, 1997 होगा;

(ख) इस योजना का उद्देश्य बिहार के सरकारी सेवकों को कम लागत तथा पूर्णतः अंशदान पर आधारित स्व वित्त पोषित योजना के रूप में सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा सेवा-निवृत्ति होने पर उनके संचयनों की वृद्धि हेतु एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने के अतिरिक्त बीमा आच्छादन की दोहरा लाभ प्रदान करना है।

(ग) यह योजना राज्य सरकार की सेवा में 1ली अप्रील, 1997 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों पर 1ली अप्रील, 1997 के प्रभाव से अनिवार्य रूप से लागू होगी, जबकि दिनांक 31 मार्च, 1997 तक नियुक्त सरकारी सेवकों पर यह 1ली अप्रील, 1998 से प्रभावी होगी तथा उन्हें यह विकल्प दिया जायेगा कि वे इस नई ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता ग्रहण करें अथवा नहीं :

परन्तु, यह भी कि ठेके पर रखे गये कर्मचारी, राज्य सरकार के उपक्रमों अथवा स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी, अनियत मजदूर, अंशकालिक एवं तदर्थ कर्मचारी तथा वार्धक्य सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त कर्मचारी इस योजना के सदस्य नहीं होंगे अर्थात् उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।

(घ) *(i)* राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियुक्त ऐसे रक्षा कार्मिक जो सशस्त्र बलों पर लागू विस्तारित समूह बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण—कार्यभारित स्थापना में नियुक्त सरकारी सेवक यदि उनकी नियुक्ति आकस्मिक या तदर्थ नहीं है, इस योजना के प्रभाव में होंगे।

2. सदस्यता—

(i) यह योजना उन सभी सरकारी सेवकों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी जो योजना प्रभावी होने की तिथि 1 ली अप्रील, 1997 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त हुये हैं।

(ii) वे सभी सरकारी सेवक जो योजना प्रभावी होने की तिथि 1ली अप्रील, 1997 से पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त थे, ऐसे कर्मी दिनांक 31 मार्च, 1998 तक पुरानी योजना के अनुसार नियंत्रित होंगे। उनके सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रील, 1998 से केन्द्रीय पैटर्न पर ग्रुप बीमा योजना लागू करते समय उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वे इस नई ग्रुप बीमा योजना के सदस्य बने अथवा नहीं। यदि वे निर्धारित तिथि तक विकल्प नहीं देते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे नयी योजना में सम्मिलित होना चाहते है एवं तदनुसार उनके माह अप्रील, 1998 के वेतन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कटौती कर ली जायेगी।

(iii) योजना प्रभावी होने की तिथि 1 अप्रील, 1997 के पश्चात् किसी वर्ष के 2री अप्रील, या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवक योजना को अगली वर्षगांठ पर योजना के सदस्य के रूप में योजना में शामिल कर लिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—(i) योजना की सदस्यता प्रत्येक वर्ष के 1ली अप्रील को ही दी जा सकती है अर्थात् किसी वर्ष के 2री अप्रील से 31 मार्च तक सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक नियुक्ति के अगले 1ली अप्रील को योजना के सदस्य हो जायेंगे।

3. सदस्यों द्वारा अंशदान—

इस योजना के लिये 15 रुपये के यूनिटों में प्रतिमाह अंशदान करना होगा. अंशदान के लिये सरकारी सेवकों का निम्नांकित समूह होगा:—

क्रमांक	विवरण	समूह
3(1)	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान या वेतनमानों वाले पद जिसका अधिकतम वेतन 4,000 से कम नहीं हो, जैसे 2,200—4,000 एवं उससे अधिक का वेतनमान वाले पद।	"क"
(2)	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान तथा वेतनमानों वाले पद जिसका अधिकतम वेतन 2,900 रु0 से कम नहीं हो, किन्तु 4,000 रु0 से कम हो, जैसे 1,640—2,900 एवं उससे ऊपर के वेतनमान वाले पद।	"ख"
(3)	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान या वेतनमानों वाले पद जिसका अधिकतम वेतन 1,150 से अधिक, लेकिन 2,900 से कम हो।	"ग"
(4)	राज्य सरकार के अधीन वैसे वेतनमान या वेतनमानों वाले पद जिसका अधिकतम वेतन 1,150 या उससे कम हो।	"घ"

समूह "घ" के सरकारी सेवक एक यूनिट, समूह "ग" के सरकारी सेवक दो यूनिट, समूह "ख" के सरकारी सेवक चार यूनिट तथा समूह "क" के सरकारी सेवक 8 यूनिटों के लिये प्रतिमाह अंशदान करेंगे। अर्थात् इस योजना के लिये समूह "घ" के सरकारी सेवक 15 रु० समूह "ग" के सरकारी सेवक 30 रुपये, समूह "ख" के सरकारी सेवक 60 रुपये तथा समूह "क" के सरकारी सेवक 120 रुपये प्रतिमाह अंशदान करेंगे।

3(*ii*) यदि किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति अस्थायी रूप से या निर्धारित कालावधि के लिये होती है तथा इसके चलते वे उच्चतर समूह के अनुरूप अंशदान के पात्र हो जाते हैं, तो वे नियम 3(I) की भांति उच्चतर समूह के लिये निर्धारित यूनिटों में अंशदान करेंगे।

यदि वे किसी कारणवश अपने पुराने पद पर प्रत्यावर्तित हो जाते हैं, फिर भी वे उच्चतर समूह के अनुसार किये गये अंशदान को जारी रखेंगे अर्थात् निम्न पद पर प्रत्यावर्त्तित हो जाने के पश्चात् भी वे इस योजना के लिए उसी समूह के सदस्य रहेंगे, जिसमें प्रत्यावर्तित/प्रत्यावर्त्तन के पूर्व वे अंशदान कर रहे थे।

4. बीमा निधि एवं बचत निधि.—

(*i*) इस योजना के अन्तर्गत किये गये अंशदान से दो निधियां गठित होगी, जिन्हें क्रमशः बीमा निधि एवं बचत निधि कहा जायगा। अंशदान की राशि के 30 प्रतिशत अंश से बीमा निधि गठित होगी तथा 70 प्रतिशत अंश से बचत निधि गठित की जायेगी। बीमा निधि एवं बचत निधि में जमा राशि राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा में रखी जायगी।

(*ii*) बीमा आच्छादन।—इस योजना के सदस्यों को प्रति यूनिट अंशदान के लिये 15,000 रु० का बीमा आच्छादन प्राप्त होगा, जिन सदस्यों के सेवा में रहते हुए दुर्भाग्यवश किसी कारण से हुई मृत्यु जिसमें आत्महत्या भी शामिल है, उनके द्वारा परिवार के नामित सदस्य/सदस्यों को मृत्यु की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा।

(*iii*) बीमा निधि की धनात्मक या ऋणात्मक राशि डाकघर बचत बैंक के मौजूदा ब्याज दर पर आकलित ब्याज के साथ क्रेडिट या डेबिट की जायेगी।

(*iv*) बचत निधि में जमा राशि राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा में रखी जायेगी। इस निधि में जमा राशि पर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा। जो प्रति तिमाही संयोजित किया जायेगा। योजना के सदस्यों के सेवा-निवृत्ति, पद-त्याग, सेवा-समाप्ति या मृत्यु होने पर बचत निधि में जमा संपूर्ण राशि ब्याज सहित संबंधित सरकारी सेवक/उनके द्वारा नामित व्यक्ति/व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जायेगा।

(*v*) बचत निधि से वास्तविक लाभ इस हेतु जारी किये जाने वाले तालिका के अनुसार होगा। तालिका, प्रत्येक सेवक के अंशदान से 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की मृत्यु दर पर बीमा लागत घटा दिये जाने और 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित करने के आधार पर तैयार की जायेगी। यदि किसी भी समय ब्याज की दर और/अथवा बीमा की लागत में परिवर्त्तन होता है, तो बचत निधि से होने वाले लाभों में भी तद्नुसार परिवर्तन होगा।

(*vi*) सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर बचत निधि से किया गया भुगतान बीमा निधि के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

(xii) बचत निधि के अन्तर्गत घनात्मक शेष राशि को इस प्रयोजन हेतु अधिूचित ब्याज दर पर आकलित ब्याज की राशि के साथ वित्त विभाग को ग्रुप बीमा शाखा द्वारा जमा किया जायगा।

(viii) दिनांक 31 मार्च, 1997 तक नियुक्त राज्यकर्मी जो इस ग्रूप बीमा योजना के अधीन सदस्य नहीं बने हैं, को बीमा निधि का भुगतान देय नहीं होगा।

(ix) दिनांक 31 मार्च, 1997 तक नियुक्त राज्यकर्मी जो, इस नई ग्रूप बीमा योजना में सदस्य बनने से, इनकार किये हैं, उनकी पुरानी ग्रूप बीमा योजना में जमा राशि, देय ब्याज सहित उनकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति होने पर लौटा दी जायगी परन्तु मृत्यु को स्थिति में वह कर्मी इन्श्योरेन्स राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। पुरानी ग्रूप बीमा योजना में उस कर्मी की जमा राशि अक्षुण्ण रहेगी।

(x) बीमा एवं बचत निधि के संधारण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।

5. <u>योजना के सदस्यों से बाहर के सरकारी सेवकों का बीमा आच्छादन</u>--

प्रत्येक वर्ष के 2 अप्रील या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक जिस समूह के अन्तर्गत वे आते हों, निर्धारित यूनिटों के लिये प्रति यूनिट 15 रुपये मासिक अंशदान नियुक्ति की तिथि से योजना के सदस्य होने की तिथि तक करेंगे तथा प्रति यूनिट अंशदान के लिये वे 15,000 रु0 के बीमा आच्छादन के पात्र होंगे। योजना के वर्षगांठ पर नियम 2(iii) के अनुसार योजना के सदस्य हो जायेंगे तथा योजना के लिये निर्धारित प्रति यूनिट रु0 15 का अंशदान अनिवार्य रूप से करना प्रारम्भ कर देंगे।

6. <u>अंशदान की वसूली</u> :

(i) किसी सदस्य का किसी महीने का अंशदान उस महीने की 1ली तारीख को सामान्य कार्यावधि प्रारम्भ हो जाने पर देय हो जायगा।

(ii) बीमा आच्छादन के लिये बीमा प्रीमियम के रूप में अंशदान सरकारी सेवा में योगदान की तिथि से योजना की सदस्यता प्राप्त होने की तिथि तक के लिये योगदान की तिथि से तथा बाद में प्रत्येक माह की 1ली तारीख को सामान्य कार्यावधि शुरू होने पर देय हो जायेगा।

(iii) किसी भी महीने के लिये अंशदान कर्मचारी के उस महीने के वेतन से वसूल कर लिया जायेगा चाहे उस महीने के वेतन के वास्तविक भुगतान की तिथि कोई भी हो।

(iv) अंशदान की वसूली प्रत्येक महीने की जायगी जिसमें वह महीना भी शामिल होगा जिसमें सरकारी सेवक की सेवा निवृत्ति, मृत्यु, त्याग-पत्र, बर्खास्तगी आदि के कारण वह सरकारी सेवा से अलग हो जाये।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकारी सेवकों से अंशदान की वसूली करेगा चाहे वह सरकारी सेवक कर्त्तव्य पर अवकाश पर या निलंबित हो।

(vi) यदि वेतन भुगतान में विलम्ब के कारण अंशदान की वसूली में विलम्ब हुआ हो तो इसके लिये अंशदान की बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जा सकेगा।

(vii) यदि किसी सरकारी सेवक के असाधारण अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उसके वेतन

का भुगतान नहीं हुआ हो तो उस अवधि के लिये देय अंशदान जिसकी कटौती नहीं की जा सकी है, संबधित सरकारी सेवक के अवकाश से लौट कर योगदान करने की महीने से अगले तीन किस्तों में बकाये अंशदान की राशि बचत निधि पर स्वीकार्य ब्याज दर के साथ वसूल कर लिया जायेगा। यदि असाधारण अवकाश पर रहते हुए किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रति देय अंशदान एवं उस पर बचत निधि के लिये स्वीकार्य ब्याज दर आकलित करते हुए, योजना के अन्तर्गत उसके परिवार को भुगतेय राशि में से, वसूल कर लिया जायेगा।

(viii) यदि कोई सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति या वाह्य सेवा में जाता है तो मांगकर्त्ता प्राधिकारी/वाह्य नियोजक से, निर्धारित दर पर अंशदान की वसूली करने एवं उससे संबधित लेखा शीर्ष में जमा करने का अनुरोध किया जायेगा। यदि किसी समय या अवधि के लिये अंशदान की राशि की वसूली नहीं की जा सकी हो तो उसकी वसूली बचत निधि पर स्वीकार्य ब्याज की दर से ब्याज आकलित करते हुए अंशदान की राशि, अधिकतम तीन किस्तों में वसूल कर ली जायेगी।

7. सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से अंशदान के लिये वित्तीय व्यवस्था–

(i) सामान्यतया इस योजना के लिये सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से वित्तीय व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जायगी तथापि यदि किसी अवस्था में सदस्य विशेष की वित्तीय स्थिति उसे यह इजाजत न दें कि वह योजना के लिये तथा सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि के लिये एक साथ अंशदान कर सके तो उसे एक अलग संव्यवहार के रूप में सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम के रूप में उतनी राशि की निकासी की अनुमति दी जा सकेगी, जितनी की योजना में एक वर्ष के अंशदान के समतुल्य हो।

(ii) योजना में अंशदान हेतु सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से अंतिम रूप से निकासी की गई राशि के अतिरिक्त योजना के अंशदान की राशि आयकर संगणना हेतु कुल आय में से घटाने योग्य राशि का अंश जीवन बीमा प्रीमियम भविष्य निधि अंशदान आदि की भांति होगी।

8. बीमा निधि/बचत निधि में से भुगतान–

(1) यदि कोई कर्मचारी अधिवर्षिता को आयु होने पर सेवा निवृत्त हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से उसको राज्य सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है और उसकी सेवा-पुस्तिका से यह पता चल जाता है कि यह योजना का सदस्य रहा है तो फार्म संख्या 4 में एक साधारण आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कार्यालय प्रधान सदस्य को बचत निधि में जमा राशि भुगतान किये जाने हेतु एक स्वीकृति जारी करेगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उसकी सेवा-पुस्तिका से यह पता चल जाता है कि यह योजना का सदस्य था तो कार्यालय प्रधान संबधित सरकारी कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को फार्म संख्या 5 में लिखेगा कि वे फार्म संख्या-6 में आवेदन प्रस्तुत करें तथा उसके प्राप्त होने पर बीमा राशि तथा बचत निधि में संचित राशि उसे/उन्हें भुगतान किये जाने हेतु सवीकृति जारी करेंगे।

(3) योजना के किसी सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बीमा राशि प्राप्त करने का पात्र है, योजना के सदस्य की हत्या करने अथवा ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है, उसका/उसकी बीमा राशि प्राप्त करने का

दावा तब तक निलंबित रहेगा जब तक उस व्यक्ति के विरूद्ध स्थापित की गई कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता यदि कार्यवाही के निष्कर्ष से संबंधित व्यक्ति पर हत्या अथवा हत्या में उकसाने का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे बीमा राशि में उसके हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा और उसका हिस्सा अन्य पात्र/व्यक्तियों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। तथापि दण्डित कार्यवाही के निष्कर्ष से यदि संबंधित व्यक्ति हत्या अथवा हत्या के लिये उकसाने के आरोप से मुक्त हो जाता है तो बीमा राशि में उसके हिस्से की राशि उसको उस राशि पर बिना किसी ब्याज के अदा कर दी जायेगी।

(4) यदि योजना का कोई सदस्य लापता हो जाता है और उसका पता नहीं मिलता है तो सदस्य के लापता होने के अगले माह से 7 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद लापता व्यक्ति के नामित व्यक्तियों/उत्तराधिकारियों को बीमा रक्षण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा बशर्ते कि दावेदार व्यक्ति, सदस्य की मृत्यु अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-108 में यथा निर्धारित न्यायालय की इस आशय की डिग्री कि संबंधित कर्मचारी को मृत समझा जाए, का उचित तथा अनिवार्य साक्ष्य प्रस्तुत करें। तथापि बचत निधि में जमा राशि का भुगतान सदस्य के लापता होने के अगले महीने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नामित व्यक्तियों/वारिसों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कर दिया जाए :—

(1) परिवार को सम्बन्धित थाने में रिर्पोट दर्ज करानी होगी और वह रिर्पोट प्राप्त करनी होगी कि पुलिस के पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कर्मचारी का कोई पता नहीं मिला।

(2) कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों द्वारा इस आशय का क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र लिखा जाना चाहिए कि यदि कर्मचारी स्वयं उपस्थित हो जाता है और अपना कोई दावा पेश करता है तो सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान राशि के प्रति समायोजित कर दिये जायेंगे।

(5) लापता कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों से कर्मचारी के लापता होने की तारीख को लागू अंशदान की दर पर कर्मचारी के लापता होने के महीने के अगले महीने से एक वर्ष की अवधि के लिए पूरा अंशदान वसूल किया जाना जारी रहेगा। उसके पश्चात् 15,000 रुपये के प्रत्येक बीमा राशि के लिए 4.50 रुपये प्रतिमाह की दर से अगले छः वर्षों की अवधि के लिए या उस माह तक के लिए जबकि बीमा रक्षण राशि का भुगतान किया जाता है इनमें से जो भी पहले हो, बीमा रक्षण हेतु बीमा किस्त की राशि वसूल की जायेगी। तथापि यदि एक पूरे वर्ष के लिए पूरा अंशदान तथा बचत निधि में जमा राशि पर स्वीकार्य दर पर ब्याज की वसूली एक वर्ष पश्चात् देय बचत निधि में से की जाती है तो यह स्वीकार्य होगा। इसी प्रकार बीमा रक्षा के प्रत्येक 15,000 रुपये के लिए 4.50 रुपये प्रतिमाह की दर पर अगले छः वर्षों के लिए बीमा किस्त तथा उस पर बचत निधि में संचित राशि पर स्वीकार्य दर पर की वसूली भी, सदस्य के लापता होने के महीने के बाद वाले महीने से सात वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान की जाने वाली बीमा राशि से की जाए।

(6) पैरा 8.4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन लापता कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। चाहे लापता कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख उसके लापता होने के बाद वाले महीने से सात वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले ही क्यों न पड़ती है।

(7) जिन कर्मचारी को केवल बीमा रक्षण का ही लाभ है उसके नामित व्यक्तियों/वारिसों को वही राशे देय होगी जो उसके समूह के लिए उपयुक्त बीमा राशि होगी।

(8) योजना के ऐसे सदस्यों को, जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, देय राशि निम्नानुसार होगी :—

(क) समुचित बीमा की वह राशि जिसका वह मृत्यु के समय पात्र था;

(ख) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की सम्पूर्ण अवधि के लिए बचत निधि में से देय राशि ; और

(ग) उच्चतर समूह में नियुक्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्येक अवसर पर उसके बढ़ाए गए अंशदान की अतिरिक्त यूनिटों के लिए अंशदान की दर बढ़ाए जाने से उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिये देय राशि/राशियां।

(9) ऐसे कर्मचारी जो त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्तिं, आदि के कारण राज्य सरकार की सेवा से अलग हो जाता है, भुगतान योग्य राशि इस प्रकार होगी :—

(क) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की कुल अवधि के लिए बचत निधि से उसको देय राशि और

(ख) उच्चतर समूह में नियुक्ति, पदोन्नति के कारण, प्रत्येक अवसर पर बढ़ाए गए उनके अंशदान तक अतिरिक्त यूनिटों के लिए इस प्रकार बढ़ाए गए अंशदान का दर की तारीख से उनके सदस्यता से अलग होने की तारीख तक की अवधि के लिए उनको देय राशि अथवा राशियां।

(10) यदि कोई कर्मचारी किसी महीने के दौरान उससे उस महीने के लिए अंशदान की वसूली से पहले मर जाता है तो उसके/उसकी देय राशियां का भुगतान अंशदान घटाने के पश्चात् किया जाएगा।

(11) इस योजना की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी 50 वर्ष की आयु के बाद अखिल भारतीय सेवा में चयन किये जाते हैं और केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना के नियम 3.1 के अनुसार उसकी सदस्यता के पात्र नहीं हो, तो उनके मामले में यह योजना लगातार जारी रखी जायगी, लेकिन 50 वर्ष की आयु से पूर्व अखिल भारतीय सेवा में चयन किये गये राज्य सम्वर्ग के सदस्यों की सदस्यता केन्द्रीय ग्रुप बीमा योजना में सम्मिलित होने के पश्चात् समाप्त समझी जाएगी और उनके आवेदन पर राज्य के ग्रुप बीमा योजनान्तर्गत बचत निधि में संचित राशि का नियमानुसार भुगतान कर दिया जायगा।

<u>9. बीमा निधि/बचत निधि से निकासियां—</u>

(1) योजना के किसी सदस्य अथवा लाभाग्राही के लिए बीमा निधि में से जिसमें उनके द्वारा अंशदान किया जा रहा है, किसी राशि के निकासी की अनुमति नहीं होगी। सेवा काल के दौरान

योजना के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीमा निधि से देय राशि का हिसाब कंडिका 8.8 के अनुसार किया जाएगा और उसका भुगतान अलग से निर्धारित लेखाकरण पद्धति के अनुसार उसके नामित/नामितों को किया जाएगा।

(2) योजना के किसी सदस्य के लिए उस बचत निधि में से जिसमें उसके द्वारा अंशदान किया जा रहा है किसी राशि की निकासी की अनुमति नहीं होगी। त्याग-पत्र, सेवा निवृत्ति आदि के कारण से, उसके नौकरी से अलग हो जाने पर निधि से उसको देय राशि का हिसाब कंडिका 8.9 के अनुसार लगाया जाएगा और उसका भुगतान उसे अथवा उसके नामित/नामितों को अलग से निर्धारित लेखाकरण पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

10. बीमा निधि/बचत निधि से अथवा उसमें संचित राशि से अग्रिम ऋण—

(1) योजना के किसी सदस्य अथवा अन्य लाभग्राही को उस बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशि से, जिसमें उसके द्वारा अंशदान किया जा रहा है, कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(2) योजना के कोई सदस्य जिसने सरकार से गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त किया है वह कोई भू-खंड अथवा तैयार शुदा मकान/फ्लैट अधिग्रहण करने के लिये अथवा मकान/फ्लैट बनाने के लिये अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से अपना बीमा रक्षण तथा बचत निधि में संचित राशि किसी मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थान को समनुदेशित कर सकता है। यदि योजना का कोई सदस्य फार्म नं0 11 में लिखित रूप से अनुरोध करता है तो बीमा रक्षण और बचत निधि से संचित राशि को समनुदेशित करने के लिए विभागाध्यक्ष की विशेष स्वीकृति लेकर अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम की कुल राशि और वित्तीय संस्थान से सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की राशि दोनों मिलाकर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित उच्चतम बीमा लागत से अधिक न हो।

(3) यदि योजना के सदस्य के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भू-खंड है और वह उस भू-खंड पर मकान बनाने का प्रस्ताव करता है अथवा यदि योजना का कोई सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैयार शुदा मकान/फ्लैट अथवा कोई भू-खंड अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करता है तो उसे मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिये अपने बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को समनुदेशित करने की अनुमति होगी।

(4) विभागाध्यक्ष बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को समनुदेशित करने के लिये अपनी स्वीकृति की सूचना कर्मचारी को फार्म सं0 10 में देगा। फार्म सं0 11 में कर्मचारी को अनुरोध और फार्म संख्या 12 में स्वीकृति की सूचना लाल स्याही से सेवा अभिलेख में निम्नलिखित प्रविष्टि के साथ कर्मचारी के सेवा अभिलेख में चिपका दी जाएगी।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... (कर्मचारी का नाम) को उसके अनुरोध पर बिहार सरकार कर्मचारी नई अनिवार्य समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत अपने बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को .... (मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थान का नाम) के पास समनुदेशित करने की अनुमति पत्र संख्या .... दिनांक .... द्वारा दी गई है।

(5) योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अथवा उनके नामित (तों) के दावों का निपटारा करते समय ऋण के कारण कर्मचारी से देय के रूप में वित्तीय संस्थान द्वारा कर्मचारी से प्राप्त ऋण की राशि के बारे में किये गये दावे की राशि बिना किसी विस्तृत संवीक्षा के संस्था को अदा की जाएगी, और केवल शेष राशि, यदि कोई हो, कर्मचारी अथवा उसके नामित (तों) को अदा की जाएगी।

11. बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशियों का उपयोग

बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशियां राज्य सरकार के अधिकार में होगी। चूंकि यह योजना पूर्णतः स्वावलम्बी तथा स्वतः वित्त पोषित है अतः ये संचित राशियां अधिकांश रूप से आवास योजनाओं के स्वामित्व तथा योजना के सदस्यों के लाभ की अन्य योजनाओं हेतु उपयोग में लाये जाने का प्रावधान है।

12. योजना को अधिसूचित करने का ढंग

यह (योजना) सूचनापट पर उसकी प्रति लगाकर कर्मचारियों को अधिसूचित की जाएगी अथवा जहां ऐसा सूचनापट्ट उस भवन के प्रमुख स्थान पर जहां कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सुलभ नहीं है तो योजना की कुछ प्रतियां कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों को भी प्रदान कर दी जाए।

13. योजना की अधिसूचना पर कार्यवाही

जिस महीने में यह योजना अधिसूचित की जाती है उससे आगे आने वाले प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक कार्यालय प्रधान उन व्यक्तियों के नाम समूह, जन्मतिथि और नियुक्ति की तारीख आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा जो पूर्ववर्ती महीने के दौरान बिहार सरकार के अधीन किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त किये गये हैं और जो योजना के पैरा 3 की शर्तों के अनुसार योजना के सदस्य बनाये जाने के पात्र हैं।

14. लागू होने वाली योजना पर कार्यवाही

(1) योजना लागू होने के महीने की 10 तारीख तक कार्यालय प्रधान को उन सभी कर्मचारियों का नाम समूह और जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करते हुए एक वितरण पत्र आहरण और संवितरण अधिकारी को देना होगा जिन्होंने योजना से अलग रहने का विकल्प नहीं दिया है या जिनकी नियुक्ति 1 अप्रील, 1997 को या उसके बाद हुई है।

(2) योजना के प्रत्येक सदस्य को, उसके पंजीकरण की तारीख, कटौती किये जाने वाले अंशदान और जिन लाभों को प्राप्त करने का वो पात्र होगा के बारे में फॉर्म संख्या 10 में सूचित किया जाएगा। एक समूह से दूसरे समूह में उसकी नियमित पदोन्नति होने पर उसे इसी प्रकार फॉर्म संख्या 2 में सूचित किया जाएगा।

15. सदस्यों का रजिस्टर

कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों का समूहवार रजिस्टर फॉर्म संख्या 9 में बनाया जाता है और अद्यतन रखा जाता है। यह रजिस्टर वर्ष में एक बार संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी के पास यह जांच करने और इस आशय का प्रमाण-पत्र अभिलिखित करने के लिए भेजा जायेगा कि उन सभी कर्मचारियों से उपयुक्त अंशदान की वसूली की जा रही है जो योजना के अन्तर्गत बीमा निधि अथवा बीमा निधि और बचत निधि खातों में सम्मिलित है।

16. नामांकन–

(1) कार्यालय प्रधान "योजना" के प्रत्येक सदस्य से, उस राशि के प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित आयु प्राप्त करने के पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में इस योजना के अन्तर्गत देय हो, एक या अधिक व्यक्तियों के बारे में, नामांकन प्राप्त करेगा। योजना के अधिसूचित किये जाने के तारीख के पश्चात् राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के मामले में ऐसे नामांकन कार्यभार संभालने की रिर्पोट के साथ प्राप्त किये जाएंगे।

(2) यदि योजना का सदस्य नावालिग है तो उसे वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(3) यदि योजना के सदस्य का परिवार नामांकन करने के समय है तो वह ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में करेगा/करेगी उस प्रयोजन के लिए परिवार का वही अर्थ होगा जो उसके संबंध में सामान्य भविष्य निधि नियम में निर्धारित किया गया है।

(4) यदि "योजना" की कोई महिला सदस्य, अपने पति को परिवार से बाहर करने की सूचना, कार्यालय प्रधान को लिखित रूप में करती है तो भविष्य में उन मामलों में जिनसे "योजना" के संबंध है उसके पति को परिवार का सदस्य तबतक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह सदस्य बाद में इस प्रकार की सूचना को लिखित रूप में रद्द न करें।

(5) किसी परिवार का सदस्य/ के सदस्य होते हुए बीमा राशि आदि की अदायगी से पूर्व यदि उस परिवार के नामित सदस्य/सदस्यों के बाद में ऐसे मामले हों जिनमें आवश्यक भाई अवयस्कता की उम्र पार करने, अविवाहित बहन का विवाह होने तथा विधवा का पुनर्विवाह होने पर ऐसे सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन अवैध हो जाएगा।

(6) यदि कोई सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे नामितों में से प्रत्येक को देय भाग की राशि का उल्लेख नामांकन में इस प्रकार करना चाहिए कि "योजना" के अन्तर्गत देय समस्त राशि पूरी-पूरी कवर हो जाए। ऐसा न होने पर "योजना" के अन्तर्गत देय राशि नामितों में बराबर-बराबर विभक्त कर दी जायेगी।

(7) नामांकन जैसी परिस्थितियों के अनुरूप उपर्युक्त को फॉर्म संख्या 7 या फॉर्म सं0 8 में किया जाएगा।

(8) योजना का सदस्य किसी भी समय उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नये नामांकन के साथ कार्यालय प्रधान को एक नोटिस भेजकर पुराने नामांकन को रद्द कर सकता है।

(9) सदस्यों से प्राप्त नामांकन कार्यालय प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे और उनकी सेवा पुस्तिकाओं में चिपकाये जायेंगे। कार्यालय प्रधान सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि भी करेगा कि नामांकन विधिवत् रूप से प्राप्त हो गया है।

(10) यदि "योजना" का कोई सदस्य वैध नामांकन दिये बिना मर जाता है, तो यदि कोई नामांकन सामान्य भविष्य निधि अंशदान सामान्य भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत किया गया है तो उसे इस "योजना" के प्रयोजन के लिए भी स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खातों के लिए भी कोई नामांकन नहीं है तो इस "योजना" के अन्तर्गत देय राशि निम्नप्रकार से अदा की जाएगी।

(क) समस्त राशि विधवा/विधवाओं, अव्यस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों में बराबर हिस्सों में विभक्त कर दी जाए, बशर्ते कि एक-से-अधिक विधवा के मामले में दूसरी और बाद के विवाह के लिए राज्य सरकार की विधिवत् स्वीकृति हो, अव्यस्क पुत्रों और पुत्रियों के मामले में उनकी माता जो मुस्लिम न हो, देय राशि प्राप्त करने के लिए मूल रूप से संरक्षक समझी जाएगी। संरक्षण प्रमाण-पत्र मुस्लिम महिला के अव्यस्क पुत्रों और पुत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है।

(ख) उपर्युक्त "क" के अन्तर्गत पात्र सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति में अदायगी परिवार के अन्य सदस्यों में बराबर हिस्सों में की जाए जैसा कि सामान्य भविष्य निधि (राज्य सेवा) नियम में निर्धारित किया गया है।

(ग) उपर्युक्त "ख" के अन्तर्गत पात्र सदस्यों की अनुपस्थिति में भी अदायगी उपर्युक्त मदों (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले अन्य कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को की जाए।

(11) पैरा 16.(10) की मद (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले दावेदारी के मामले में अदायगी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु आग्रह के बिना कार्यालय प्रधान द्वारा की जायगी किन्तु पैरा 16.(10) की मद (ग) के अन्तर्गत आने वाले दावेदारों की अदायगी की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया।

17. बिहार सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना 1979—

17. *(i)* बिहार सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना 1979, दिनांक 31 मार्च 1997 तक नियक्त सरकारी सेवक के लिए दिनांक 1 अप्रील 98 से तथा 1 अप्रील, 1997 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवक के लिए दिनांक 1 अप्रील 97 से बन्द समझी जायेगी। परन्तु यह कि बिहार सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना 1979 जो समय-समय पर हुए संशोधनों के साथ सम्प्रति लागू है, के अन्तर्गत जमा राशि अक्षुण्ण बनी रहेगी (अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 1998 तक पुरानी योजना में जमा राशि में कोई कटौती नहीं होगी) तथा सेवा निवृत्ति, मृत्यु, पद-त्याग या बर्खास्तगी के फलस्वरूप सेवा से अलग होने पर ब्याज के साथ भुगतान कर दिया जायेगा। ब्याज का दर वही होगा, जो योजना बंद होने की तिथि को लागू थी।

17.*(ii)* बिहार सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना 1979 जो समय-समय पर हुए संशोधन के साथ लागू हैं, में बने रहने का विकल्प किसी भी स्थिति में नहीं दिया जायेगा।

17. *(iii)* बिहार सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना की सदस्यता को स्वीकार्य करने की या नहीं करने के लिए वैसे सरकारी सेवक को विकल्प दिया जायेगा, जो इस योजना की सदस्यता स्वीकार्य नहीं करने की स्थिति में पुरानी योजना में जमा राशि उनके सेवा-निवृत्ति, पदत्याग, बर्खास्तगी अथवा मृत्यु की स्थिति में ब्याज के साथ सम्पूर्णतः दी जाएगी। किन्तु सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में उन्हें बीमा आच्छादन की राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन वैसे सरकारी सेवक, जो नयी योजना की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनके सेवा-निवृत्ति, पदत्याग, बर्खास्तगी, मृत्यु

आदि के पश्चात् दिनांक 31 मार्च 1998 तक जमा शत-प्रतिशत राशि ब्याज सहित लौटा दी जायेगी साथ ही उन्हे बीमा आच्छादन का लाभ भी प्राप्त होगा।

18. योजना से संबंधित लेने-देनों का लेखा अलग से दी गई पद्धति के अनुसार रखा जायेगा।

18.1. "योजना" के किसी सदस्य से वसूली योग्य सरकारी देय राशियों का पैसा 10.5 में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त इस "योजना" के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशियों के साथ समायोजन नहीं किया जायेगा।

19. निर्वचन और स्पष्टीकरण

19.1. यदि कर्मचारियों की कुल श्रेणियां समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" अथवा समूह "घ" में विशेष रूप से वर्गीकृत नहीं की गई है, तो उनका वर्गीकरण बिहार सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निर्णय के अन्तर्गत इस संबंध में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार माना जाएगा।

19.2. "योजना" के वास्तविक कार्यान्वियन में इस "योजना" के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है अथवा किसी मुद्दे के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो मामले को वित्त विभाग में भेज दिया जाए जिसका निर्णय अंतिम होगा।

20. योजना की समीक्षा—"योजना" की कार्यावली की प्रत्येक तीन वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी कि "योजना" स्व-वित्तपोषित और स्वावलम्बी बनी रहे।

नियमावली के साथ विहित प्रपत्रों का उल्लेख, जो ऊपर में किये गये हैं, इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न हैं।

ज्ञापांक ए0एफ0सी0(ई0)05/98/2757 वि0 (2)

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सुधीर कुमार,

सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक ए0एफ0सी0(ई0)05/98/2757 वि0 (2)

पटना, दिनांक 27 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि अधीक्षक, लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना को इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

सुधीर कुमार,

सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक ए0एफ0सी0(ई0)05/98/2757 वि0 (2)

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्/विधि, पटना उच्च न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुधीर कुमार,

सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक ए0एफ0सी0(ई0)05/98/2757 वि0 (2)

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सुधीर कुमार,

सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक ए0एफ0सी0(ई0)05/98/2757 वि0 (2)

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1998

प्रतिलिपि अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त विभाग/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण विभाग)/ निदेशक, राष्ट्रीय बचत, वित्त विभाग/उप-निदेशक, नया भविष्य निधि तथा निदेशक, भविष्य निधि, वित्त विभाग/निदेशक, कोषागार एवं लेखा, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ अधीक्षक, लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, प्रेस एवं फॉर्म्स, गया/सभी प्राचार्य, प्रमंडलीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, वित्त विभाग के सभी कार्मिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुधीर कुमार,

सरकार के अपर सचिव, वित्त विभाग।

फार्म नं0 1 (देखें पारा 17.2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग/कार्यालय

ज्ञापन

श्री .... समूह ....
.... कर्मचारी को ....
से बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना 1997 के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। उनके .... रु0 ....
.... का मासिक अंशदान .... माह
से शुरू करते हुए उनके वेतन/मजदूरी में से कट जायेगा और वे ....
.... से समूह .... के अनुरूप
योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे।

कार्यालय प्रधान

सेवा में

श्री ....

(कर्मचारी का नाम और पदनाम)

फार्म नं0 2 [देखें पारा 17(2)]

बिहार सरकार

.... विभाग/कार्यालय ....

ज्ञापन

श्री .... को दिनांक .... से
समूह से .... समूह ....
में नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाता है। बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 में उनका मासिक अंशदान .... माह से ....
रुपये से बढ़ा कर .... रुपये कर दिया जायगा और वे ....
.... से समूह .... के अनुरूप योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे।

कार्यालय प्रधान

सेवा में

श्री ....

(कर्मचारी का नाम और पदनाम)

फार्म नं0 3 [दिखें पारा 17.*(iii)*]

सेवा में

(कार्यलिय प्रधान)

महोदय,

मैंने बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मुझे योजना के ब्योंरे स्पष्ट कर दिए गये हैं। मैं इस नई योजना से बाहर रहने का विकल्प देता हूं।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक :

(कर्मचारी का नाम, पदनाम)

फार्म नं0 4 [दिखें पारा 11]

सेवा में

....

....

....

विषय—बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत संचित राशि की अदायगी के लिये आवेदन-पत्र।

महोदय,

मैं, ... से बिहार सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना, 1979 एवं दिनांक .... से .... बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 का सदस्य रहा हूं। मैं .... वर्ष की आयु .... हो जाने पर सेवा निवृत्त हो चुका हूं। मैं .... से बिहार सरकार की नौकरी में नहीं रहा हूं। बिहार सरकार से सेवा निवृत्त/नौकरी समाप्त होने से पूर्व में .... पद पर था। अनुरोध है कि बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा के दोनों योजना के अन्तर्गत जो राशि मुझे देय है। उसका मुझें भुगतान कर दिया जाय।

(कार्यलिय प्रधान का पदनाम तथा पता इस योजना के सदस्य होने के माह तथा वर्ष का यहां पर उल्लेख किया जाए)।

भवदीय,

( )

फार्म नं0 5 (देखें पारा 11)

सं0

बिहार सरकार

.... विभाग, ... कार्यालय

दिनांक ....

सेवा में

....

....

....

विषय—बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1979 एवं नई योजना 1997 के अन्तर्गत देय राशि की अदायगी।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 .... ने बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1979 एवं नई योजना, 1997 के अन्तर्गत देय राशि की पूर्ण रूप में .... प्रतिशत राशि की अदायगी के लिये आपको नामित किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अदायगी की व्यवस्था किये जाने हेतु संलग्न फार्म नं0 6 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें।

नामित व्यक्ति का नाम तथा पता-- भवदीय,

फार्म नं0 6 (देखें पारा 11.2)

सेवा में

....

....

विषय—बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1979 एवं नई योजना, 1997 के अन्तर्गत स्व0 .... को देय राशि का भुगतान करने के संबंध में आवेदन-पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक .... के पत्र संख्या .... के संदर्भ में मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा की उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्व0 .... को देय राशि की पूर्ण/ .... प्रतिशत राशि की मुझे अदायगी कर दी जाय।

(उस कार्यालय का नाम और पता जहां से फार्म (संख्या 5 प्राप्त हुआ)।

भवदीय,

( )

फार्म नं0 7 (देखें पारा 19.7)

बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत लाभ हेतु नामांकन

जब सरकारी सेवक का कोई परिवार न हो और वह एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति नामित करना चाहता हो :

मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यकितयों को नामित करता हूं तथा उसे/उन्हें यह अधिकार प्रदान करता हूं कि वे नीचे उल्लिखित सीमा तक कोई भी राशि प्राप्त कर सकते हैं, जो बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर स्वीकृत की जाए अथवा जो राशि मेरी अधिवर्षिंग की आयु हो जाने पर देय हो गई हो, किन्तु मेरी मृत्यु पर अंशदत्त रह जाए।

नामित/ [illegible]ितों के नाम तथा पता।	सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध।	आयु	प्रत्येक को अदा किया जानेवाला राशि हिस्सा।*	वे आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नामांकन रद्द हो जायेगा।**	उस व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संबंध जिसकी नामित सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका हक चला जाएगा।
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

दिनांक .... 19 को ....

दो गवाहों का हस्ताक्षर—

1.

2.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर।

विशेष ध्यान दें :—

सरकारी कर्मचारी अपनी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर एक लाईन खींच दें, ताकि उनके हस्ताक्षर करने के बाद कोई अन्य नाम उनमें न जोड़े जा सकें।

* इस कॉलम को इस प्रकार से भरा जाना चाहिए कि बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त राशि उसमें शामिल हो जाए।

** जहां सरकारी कर्मचारी, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, वह इस कॉलम में यह विनिर्दिष्ट करे कि बाद में परिवार के होने पर यह नामांकन रद्द हो जाएगा।

फार्म नं0 8 (देखे पारा 19.7)

बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत लाभ हेतु नामांकन जब सरकारी कर्मचारी का परिवार है और वह एक अथवा एक से अधिक सदस्य नामित करना चाहता हो।

मैं, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का सदस्य है/कि सदस्य हैं, तथा उसे/उन्हें यह अधिकार प्रदान करता हूं कि वे नीचे उल्लिखित सीमा तक कोई भी राशि प्राप्त कर सकते हैं, जो बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997 के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर स्वीकृत की जाए अथवा जो राशि मेरी अधिवार्षिता की आयु हो जाने पर देय हो गई हो, किन्तु मेरी मृत्यु पर अंशदत्त रह जाए।

नामित/ नामितों के नाम तथा पता।	सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध।	आयु	प्रत्येक को अदा किया जानेवाला हिस्सा*।	वे आकस्मिक जिनके घटने पर नामांकन रद्द हो जायेगा।	उस व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संबंध जिसका नामित की सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका हक चला जाएगा।
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

विशेष ध्यान दें।

सरकारी कर्मचारी अपनी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर एक लाईन खींच दें, ताकि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई अन्य नाम उसमें न जोड़े जा सकें।

दिनांक ....19 को .... मैं

दो गवाहों के हस्ताक्षर--

1.

2.

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर

* इस कॉलम को इस प्रकार भरा जाना चाहिये कि

फार्म नं० 9 (देखें पारा 18)

बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1997

सदस्यों का रजिस्टर समूह

1 उन कर्मचारियों के ब्योरे जो केवल बीमा राशि में अंशदान कर रहे हैं :–

क्रम सं०	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5

वह तारीख जब से अंशदान करना शुरू किया।	उच्चतर समूह में पदोन्नति की तारीख, अन्य विभागों में स्थानान्तरण की तारीख।	मृत्यु की तारीख	अभ्युक्ति
6	7	8	9

फार्म नं0 10 (देखें पारा 4.2)

सेवा में

कार्यालय प्रधान

महोदय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या .... , दिनांक ....
...... के संदर्भ मे मै, एतद्द्वारा अनुरोध करता हूं कि मुझें बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1997 के समूह .... में उसमें उल्लिखित शर्त्तों पर दिनांक .... सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए। मैं योजना के प्रावधानों के अनुसार .... रुपये के अंशदान की वसूली के लिये सहमत हूं, ताकि मुझे योजना के अन्तर्गत बचत निधि के लाभों के अथवा दिनांक .... के सामान्य कार्य समय आरम्भ होने से लेकर .... रुपये की बीमा सक्षम प्राप्त हो सके।

भवदीय,

स्थान :

तारीख : कर्मचारी का नाम, पदनाम।

फार्म नं0 11 (पारा 13.2 और 13.4 देखें)

सेवा में

विभागाध्यक्ष,

महोदय,

मैं फ्लैट/मकान/(ब्योरा दें) अधिग्रहण करने/निर्माण करने के प्रयोजनों से मेसर्स .... (कम्पनी का नाम) से .... रु0 (शब्दों और अंकों में) का ऋण लेने के संबंध में बातचीत कर रहा हूं। जैसा कि मेसर्स .... द्वारा वांछित है और मैंने सहमति दे दी है। मुझे बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1997 के सदस्य के रूप में अपनी बीमा राशि और बचत निधि से संचित राशि मेसर्स .... को समानुदेशित करने की अनुमति दे दी जाए। मैं एतद्द्वारा आपको मेंरे सरकारी सेवा मे न रहने पर मुझे दी जानेवाली राशि अथवा मेरी मृत्यु होने पर मेंरे नामित/नामितों को देय राशि का मेसर्स .... को मेंरे द्वारा लिए गए ऋण की बकाया राशि के बदले उन्हें भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। शेष राशि की अदायगी, यदि कोई हो, तो मुझे/मेंरे नामिती/नामितियों को कर दी जाय।

मेसर्स .... के साथ मेंरे द्वारा किए जानेवाले करारनामें की एक सत्यापित प्रति यथासमय रिकार्ड के लिए प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भवदीय,

कर्मचारी का नाम तथा पदनाम।

फार्म नं0 12 (देखें पारा 13.4)

सेवा में

श्री ....

महोदय,

आपके दिनांक .... के पत्र संदर्भ में मकान/फ्लैट (ब्योरा दें) का निर्माण/ अग्रहण करने के प्रयोजन से .... रुपये (शब्दों और अंकों में) का ऋण लेने हेतु बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1997 के सदस्य के रूप में अपनी बीमा राशि तथा बचत निधि में संचित राशि मेसर्स .... को समनुदेशित करने की .... (विभागाध्यक्ष) की स्वीकृति सम्प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है। आपकी ओर ऋण के कारण देय राशि के प्रति मेसर्स .... द्वारा दावा की गई रकम की बिना विस्तृत जांच पड़ताल के उन्हें अदायगी कर दी जायगी और बचत निधि में संचित राशि अथवा बीमा रक्षण तथा बचत निधि में संचित राशि के कारण देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान आपको या आपके नामित/नामितियों को जैसा भी मामला हो, किया जायगा।

2. आपके दिनांक .... के पत्र की प्रमाणित प्रति तथा यह पत्र मेसर्स .... को उनके रेकार्ड के लिये भेजा जा रहा है।

भवदीय,

( )

फार्म नं0 13 (देखें पारा 6)

बिहार सरकारी कर्मचारी नई समूह बीमा योजना, 1997

योगदान की तिथि।	बिहार सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना में प्रवेश की तारीख।	समूह जिसमें प्रविष्टि हुई।
1	2	3

मासिक अंशदान की दर (रु0)।	अवधि से तक।	स्तम्भ 3 एवं 4 के प्रभावी होने की सही-सही तारीख के साथ वृत्तान्त।	अभ्युक्ति
4	5	6	7

बि0स0मु0 (वित्त)2—ऑफसेट—7,000—1998